राष्ट्र कर बाजार   NATION TAX MARKET

आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय, जोधपुर
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL GST & C. Ex./ST, JODHPUR
जी–105, न्यू इण्ड्रस्ट्रीयल एरिया बासनी, डीजल शेड के पास, जोधपुर–342003
G-105, NEW INDUSTRIAL AREA BASNI, NEAR DIESEL SHED, JODHPUR-342003
****

फा.सं. I(22)1/प्रशा./जेडीआर/2017/पार्ट/   दिनांक 25.09.2023

केन्टीन हेतु निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति महोदय की ओर से, कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय, जी–105, न्यू जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर स्थित कार्यालय की द्वितीय मंजिल पर कैन्टीन चलाने के लिए निम्नलिखित मापदण्डों के अनुसार मोहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी एवं निविदा प्रपत्र एवं शर्तो का विवरण प्रशासनिक अधिकरी (मु.), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय, जोधपुर से किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 09.30 बजे से सांय 18.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है अथवा विभागीय वेबसाईट http://cgstjaipur.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

2. इस कार्यालय को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओ को, बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। इस विज्ञप्ति में किसी भी संशोधन/बदलाव का प्रकाशन केवल उक्त वेबसाईटस् पर ही जारी किया जायेगा तथा न्यूज पेपर में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

25/9/23

(राम सिंह गुर्जर)
संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि –

1. अधीक्षक (कम्प्यूटर), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट में प्रकाशन हेतु।
2. नोटिस बोर्ड
3. संपादक, दैनिक भाष्कर जोधपुर को उक्त निविदा सूचना, जोधपुर संस्करण में 64 स्क्वायर से. मी. तक के कॉलम में डी.ए.वी.पी. दर पर प्रकाशन हेतु।

एनेक्जर 'I'

निविदा प्रकिया

कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय, जी–105 न्यू जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर के कार्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कैंटीन चलाने के लिए दो बोली प्रणाली में मुहरबंद निविदाए, तकनिकी निविदा (एनेक्जर 'III') और वित्तीय बोली (एनेक्जर 'IV') अलग–अलग मुहरबंद लिफाफो में आमंत्रित की जाती है। पूर्ण विवरण एवं निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट http://cgstjaipur.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। सेवाप्रदाता अपने व्यय पर किसी भी कार्य दिवस एवं कार्यालय समय पर प्रशासनिक अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर निरीक्षण कर सकते है एवं निविदा फार्म प्राप्त कर सकते हैं। निविदादाता, निविदा प्रस्तुत करते/भेजते समय तकनिकी निविदा (Technical bid) (एनेक्जर III) को मोहर सहित हस्ताक्षरित कर, एक लिफाफे में मोहर बंद कर तथा वित्तीय निविदा (Financial bid) (एनेक्जर–VI) को एक अलग लिफाफे में मोहर बंद कर, दोनो लिफाफो को एक अन्य लिफाफे में मोहर बंद कर, जिस पर "केन्टीन चलाने हेतु निविदा" लिखा हो, दिनांक 16.10.2023 तक इस कार्यालय में अपरान्ह 16.00 बजे तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दी जानी चाहिये। इसके पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदायें दिनांक 17.10.2023 पूर्वान्ह 11.30 बजे प्रचेज कमेटी द्वारा उपस्थित निविदाताओ या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

4. निविदा के एनेक्जर II में उल्लेखित सभी नियम एवं शर्तो को पूर्ण करने वाले एवं योग्यता रखने वाले निविदादाताओ की निविदायें ही मान्य एवं स्वीकार्य होगी तथा जिनकी तकनिकी निविदा में उल्लेखित अर्हता पूर्ण नहीं करते है उनकी वित्तिय निविदा नहीं खोली जायेगी और ना ही उस पर कोई विचार किया जायेगा। पूर्ण योग्यता रखने वाले निविदाताओ या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वित्तीय निविदा (Financial bid) एनेक्जर–IV खोलने की तारीख एवं समय की घोषणा की जायेगी। आयुक्त/अपर/संयुक्त आयुक्त को निविदा प्राप्ति/ खोलने की तारीख बढाने, किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओ को, बिना कारण बताये निरस्त करने तथा नये सिरे से निविदाएं आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

एनेक्जर 'II'

(1) आवश्यकताए –

सेवाप्रादाता के पास जी.एस.टी. का पंजीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक है। सेवाप्रादाता को केन्टीन संचालन में अनुभवन हो तथा एनेक्जर 'IV' के अनुसार इस कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियो को नाश्ता, दोपहर का भोजन, स्नेक्स, चाय, कॉफी, पेय पदार्थ आदि की सेवाएं प्रदान करवानी होगी।

(2) विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं –

विभाग द्वारा केंटीन परिसर में लगभग 800 वर्गफुट क्षेत्रफल का निर्मित एरिया उपलब्ध करवाया जायेगा जिसमें रसोई सुविधाओं, खाना पकाने एवं भोजन करने की सुविधा के लिए जगह सहित फर्नीचर, गैस कनेक्शन, गैस चूल्हा, खाना पकाने की रेंज, हॉटकेस/ऑवन, फ्रिज, वर्किंग टेबल, निकास चिमनी के साथ अच्छी सुसज्जित रसोईघर, किराने के कंटेनर इत्यादि कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे। विभाग द्वारा मुफ्त पानी एवं बिजली (केवल फ्रिज, मिक्सर, वाटर कूलर इत्यादि जैसे बिजली के उपकरण चलाने के लिए ना कि खाना पकाने के उद्देश्य के लिए) उपलब्ध करवाई जायेगी। विभाग द्वारा आपूर्ति किए गए इन सामानों की सुरक्षा, हिफाजत और रखरखाव के लिए सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। सेवाप्रादाता/ठेकेदार को अपने स्तर एवं अपनी लागत पर कच्चे माल, खाद्य वस्तुओ, खाना पकाने का ईधन, सफाई/कपडे धोने की सामग्री/उपकरण एवं मानव शक्ति (मजदूर) आदि की व्यवस्था करनी होगी। इसमें किसी तरह के नुकसान की जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं होगी। अनुबंध की अवधि प्रत्येक वर्ष के अंत में कैंटीन समिति द्वारा तय की जाने वाली सेवाओं के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम पांच वर्षो तक, वार्षिक आधार पर विस्तारित की जा सकती है।

(3) आयुक्तालय कार्यालय में केन्टीन सेवाये प्रदान करने के लिए नियम एवं शर्ते

1. केन्टीन समिति के संतुष्टि के लिए सेवाप्रादाता/ठेकेदार अच्छी गुणवता के खाद्य पदार्थ एवं सब्जियां खरीदने के लिए जिम्मेदार होगा। केन्टीन समिति को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी सामग्री को बदलने का अधिकार होगा, बशर्ते इसकी लागत निर्दिष्ट ब्रांड से अधिक न हो।
2. सेवाप्रादाता/ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा की खाना स्वच्छता से पकाया जाना, स्वच्छ स्थितियों में संग्रहित कर, परोसा जायेगा तथा केवल ताजा पका हुआ भोजन ही परोसा जायेगा। पुराना भोजन पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जायेगा। जितनी जल्दी हो सके केंटीन परिसर से पुराना भोजन हटवाना होगा। गैर–रेफ्रिजेरेटेड पका हुआ भोजन, गर्मी के दिनों में छह घंटे तथा सर्दियों के दिनों में दस घंटे के भीतर–भीतर उपभोग नहीं किया जाता है तो इसे मानव उपभोग के लिए बासी एवं अनुपयुक्त समझा जायेगा।
3. ठेकेदार द्वारा यदि खाद्य पदार्थ निर्माता कंपनियों में उल्लेखित समाप्ति तिथियों के खाने योग्य खाद्य पदार्थ बेचते हुए पाया जाता है तो प्रत्येक चूक के लिए रू. 500 जुर्माना किया जायेगा।
4. भोजन ना तो ज्यादा मसालेदार होना चाहिए और ना ही ज्यादा तेल वाला होना चाहिए। खाद्य पदार्थ बनाने/पकाने की स्वच्छता से अच्छी तैयारी करवानी होगी ताकि आम तौर पर अधिकारियों के टेस्ट/स्वाद को पूर्ण कर सके।
5. दिन के अंत में गहरे फ्राईंग से बने तेल को नष्ट करना होगा। इस तरह के तेल को पुन खाना पकाने के लिए प्रयोग में लिये जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

6. भोजन साफ बर्तनों में पकाया एवं परोसा जायेगा। बर्तन और रसोई के अन्य सामानों को हर समय चमकदार (स्पार्कलिंग) साफ बनाये रखना होगा। इस संबंध में कोई लापरवाही की अनुमति नहीं दी जायेगी।
7. सफल निविदादाता को केन्टीन संचालन का दो वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध दिया जायेगा तथा ठेकेदार के संतोषजनक प्रदर्शन पाये जाने पर पांच साल तक बढाया जा सकता है।
8. सफल बोली लगाने वाले को विभाग द्वारा मुफ्त केंटीन, बिजली और पानी के लिए जगह मुहैया करवाई जायेगी।
9. ठेकेदार केन्टीन परिसर में उचित स्वच्छता/स्वच्छता की स्थिति सुनिश्चित करेगा और संक्रामक बिमारियों से मुक्त व्यक्तियों को तैनात करेगा।
10. ठेकेदार उनके द्वारा नियोजित कर्मियों के संबंध में श्रम कानूनों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा।
11. ठेकेदार द्वारा केन्टीन में कार्य करने हेतु लगाये गये कर्मचारियों के किसी भी दुर्घटना, चोट या मृत्यु के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा, विभाग की इसमें किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं होगी। जब भी आवश्यकता होगी, ठेकेदार अपने द्वारा लगाये गये कर्मचारियों का बीमा स्वयं करवायेगा जिसकी लागत ठेकेदार को स्वयं वहन करनी होगी।
12. ठेकेदार द्वारा लगाये जाने वाले कर्मचारियों के सभी खर्चो, वेतन, भत्तो, वर्दी आदि की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी। ठेकेदार या उनके कर्मचारी विभाग से किसी भी प्रकार का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।
13. ठेकेदार किसी भी ऐसे कर्मचारी को तैनात नहीं करेगा जिसका ट्रेक रिकार्ड अच्छा नहीं हो। ये कर्मचारी किसी भी अपराध/पुलिस मामले में शामिल नहीं होने चाहिए।
14. कैटरर को अपने सभी कर्मचारियों/श्रमिकों के विवरण को निर्धारित रजिस्टर में इन्द्राज करना होगा और श्रम कानूनों का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार होगा।
15. ठेकेदार द्वारा तैनात किये गये कर्मचारियों के पूर्ववर्ती सत्यापन के स्वयं उत्तरदायी होगा और विभाग को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रत्येक कर्मचारियों के संबंध में देना होगा।
16. कैफेटेरिया कर्मचारी उचित वर्दी में तैनात रहेंगे तथा साफ बर्तन में खाद्य सामग्री परोसनी होगी।
17. ठेकेदार को समय–समय पर आयोजित होने वाले समारोह के अवसर पर, सम्मेलन कक्ष, समिति कक्ष, वरिष्ठ अधिकारियों के कक्ष में अपनी सेवाये प्रदान करनी होगी और विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्रेडिट आधार पर खानपान सेवाएं प्रदान करनी होगी जिसका बिल भुगतान हेतु प्रशासन को देना होगा।
18. खाद्य पदार्थ, भोजन और पेय पदार्थ की लागत उचित व प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए। कुछ मूल वस्तुओ की कीमते संलग्न सूची के अनुसार होनी चाहिए। निर्धारित दरो में कोई भी संशोधन विभाग की कैंटीन समिति के अनुमोदन के अधीन होगा।
19. ठेकेदार उन खाद्य पदार्थो की अपूर्ति भी कर सकता है जो किसी भी मांग के मामले में अनुबंध के तहत नहीं है। ऐसी वस्तुओ की लागत एमआरपी दरों पर तय की जा सकती है।
20. सभी खाद्य एवं पेय पदार्थो की अनुमोदित दर कैंटीन के काउंटर/नोटिस बोर्ड में प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी। ठेकेदार द्वारा द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं की सूची अनुलग्नक 'IV' में सूचीबद्ध है हालाकि ठेकेदार मांग/उपभोग के अनुसार अन्य वस्तुओ को भी जोड सकता है।
21. केन्टीन को सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 09.30 बजे से शाम 06.00 बजे तक कार्यालय समय के दौरान खानपान के लिए खुला रखना होगा। कैंटीन, शनिवार, रविवार और अन्य राजकीय अवकाशो के दिन बंद रहेगी किन्तु यदि आवश्यक हुआ तो विशेष रूप से विभाग के निर्देशानुसार कैंटीन को शनिवार और अन्य अवकाशों के दिनों में भी खोलना होगा।
22. स्वच्छ और संतोषजनक सेवा सुनिश्चित करने के लिए कैंटीन के कामकाज का निरीक्षण करने के लिए विभाग द्वारा कैंटीन प्रबंधन समिति को नामित किया जायेगा। यदि समिति द्वारा ठेकेदार कि किसी तरह की बार–बार विफलताएं देखी जाती है तो कैंटीन प्रबंधन समिति के प्रमुख/अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक अवसर पर ठेकेदार पर रू. 500/– जुर्माना लगाया जा सकता है।

23. यदि सेवाओ को असंतोषजनक पाया जाता है या नियम एवं शर्तो के किसी भी भाग का उल्लघंन पाया जाता है, तो एक महीने के नोटिस पर अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा तथा Performance Security जब्त कर ली जायेगी।
24. सेवाप्रादाता को विभाग द्वारा रसोई तथा अन्य संबंधित सामग्री (बर्तन/गैस आदि विभिन्न सामग्री) बुनियादी सुविधाये उपलब्ध करवाई जायेगी। ठेकेदार को अपने को अपने स्वयं के उपकरण एवं बर्तन (उपलब्ध कार्यालय सुविधाओ/बर्तनों/सामग्रियों के अलावा) उपयोग करना होगा। कैंटीन सेवाओं के लिए एलपीजी का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा।
25. अनुबंध की समय-सीमा समाप्त करने/निरस्त करने के लिए विभाग की ओर से एक महीने नोटिस एवं ठेकेदार के पक्ष से तीन माह का लिखित में नोटिस दिया जाना आवश्यक होगा। ठेकेदार अनुबंध समाप्त होने पर ठेकेदार को विभागीय परिसर खाली करना होगा तथा उपलब्ध करवाया गया सभी सामान एवं लेखो को विभाग को सुपुर्द्ध करना होगा। विभाग के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
26. ठेकेदार विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी जाने वाली विभागीय सम्पत्ति और वस्तुओं के सभी तरह के नुकसान या हानि (टूट-फूट या प्राकृतिक कारणो को छोडकर) के लिए जिम्मेदार होगा जिसकी भरपाई/राशि जमा करवानी होगी।
27. विभिन्न सरकारी निकायों/नगर निगम से खानपान सेवाओं के लिए आवश्यक लाइसेंस/अनुमतिया प्राप्त करने की जिम्मेदारियां स्वयं ठेकेदार की होगी तथा संबंधित प्राधिकारी द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करनी होगी।
28. ठेकेदार को आईएसआई/एग्मार्क/खाद्य ग्रेड उत्पादों का ही उपयोग करना होगा।
29. ठेकेदार को अपनी सेवाओं के संबंध में नगरपालिका कानूनों, श्रम कानूनों या जो भी कानून लागू हो की अनुपाना के लिए जिम्मेदार होगा तथा ठेकेदार को इस आशय की घोषणा/अण्डरटेकिंग देनी होगी।
30. सफल ठेकेदार/कैटरर को विभिन्न नियमों और शर्तो को समाविष्ट करते हुए गैर न्यायिक स्टाम्प में लिखित समझौते को निष्पादित करना होगा।
31. विभाग को तथ्यों एवं उपरिस्थितियों के अनुसार जैसा भी उपयुक्त समझा जायेगा, अनुबंध के समय नियम एवं शर्तो को निर्धारित करने करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
32. निविदाकर्ता को निविदा के साथ राशि **रू. 5,000/- अमानत राशि** का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्राय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय जोधपुर के नाम जो एस. बी. आई., जोधपुर में देय हो जमा कराना होगा। बिना अमानत राशि के निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान सफल निविदादाता की तकनीकी एवं वित्तीय निविदा में अपूर्ण/गलत सूचनाए पाई गई या सफल निविदादाता द्वारा अपनी निविदा वापिस लेने का अनुरोध किया गया तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा करवाई गई अमानत राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी। असफल निविदादाता को चयन प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद बिना ब्याज के अमानत राशि लौटा दी जायेगी।
33. सफल निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध के सफल प्रदर्शन के उद्देश्य से (Performance Security-to ensure due performance of the contract, Performance Security is to be obtained from the successful bidder awarded the contract) रू. 20,000/- (अक्षरे रूपये बीस हजार मात्र) का एफ.डी.आर. या बैंक गारंटी जो किसी राष्ट्रीयकृत/कॉमर्शियल बैक का हो, Performance Security के तौर पर एक माह के भीतर-भीतर प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी. ओ.), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय, जोधपुर के नाम बनवाकर विभाग के पास जमा कराना होगा, जोकि सम्पूर्ण ठेका अवधि के समाप्ति (पूर्ण होने) के पश्चात भी अगले 60 दिनों के लिए वैध होना चाहिए तथा Performance Security के डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ.डी. आर. या बैंक गारंटी की प्राप्ति के पश्चात ही बिना ब्याज के अमानत राशि (Bid Security) के लौटाया जायेगा।
34. यदि सफल आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर-भीतर कार्य नहीं संभाला जाता है अथवा Performance Security जमा नही करवाता है अथवा अन्य किसी भी कारण से कार्य निष्पादित करने की अनिच्छा लिखित में प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा जमा की गई

सम्पूर्ण अमानत राशि विभाग जब्त कर ली जाएगी तथा उसके अगले निम्न उत्तरदायी निविदाकर्ता (Next Lower Responsive Bidder) को उक्त न्यूनतम दर वाले निविदाकर्ता की दरों पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया जा सकेगा।

35. निविदाकर्ता को चाहिए कि वह अनुलग्नक "II" में उल्लेखित निबंधन एवं शर्तों से संतुष्ट होने पर ही अपनी निविदा प्रस्तुत करे। इस हेतु निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करेगा तथा अंतिम पृष्ठो पर निर्धारित स्थान पर मय मोहर के हस्ताक्षर करेगा। निविदा के साथ लगाए गए सभी दस्तावेजों पर भी पृष्ठ नम्बर अंकित कर प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता के मय मोहर हस्ताक्षर होने चाहिए।
36. निविदादाता के फर्म का कार्यालय जोधपुर (राजस्थान) में होना अनिवार्य है।

एनेक्जर 'III'

तकनिकी निविदा

(तकनिकी निविदा को अलग मुहरबंद लिफाफे में रखा जाना है)

1	फर्म / संस्था का नाम	
2	डायरेक्टर / पार्टनर / प्रोपराईटर का नाम	
3	पूर्ण पता एवं दूरभाष / मोबाईल / फैक्स नम्बर	
4	सम्पर्क व्यक्ति का विवरण (नाम / पता / टेलीफोन नम्बर)	
5	संस्था का विवरण (क्या फर्म प्रोपराईटरशिप / पार्टनरशिप / कम्पनी है)	
6	सेवाकर पंजीकरण संख्या (यदि हो)	
7	अनुभव का विवरण / कार्य आदेश / सेवा प्रमाण पत्र संलग्न करें (यदि हो)	
8	अन्य सरकारी / पब्लिक अण्डरटेकिंग जहां वर्तमान में कार्य लिया हो की सूची मय प्रमाण पत्र (यदि हो)	
9	धरोहर राशि का विवरण	

मैं / हम प्रमाणित करते हैं कि मेरी / हमारी जानकारी के अनुसार उक्त दी गई सूचनाएं पूर्ण एवं सही हैं। मैं / हम जानते हैं कि उक्त दिए गए विवरण में कोई भी सूचना या विवरण गलत पाया जाता है तो हाउसकीपिंग के अनुबंध को निरस्त किया जा सकता है, अमानत राशि जब्त की जा सकती है एवं भविष्य में हमें ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है।

हस्ताक्षर मय तिथि ....
हस्ताक्षरकर्ता का नाम ....
फर्म का नाम

<u>अनुलग्नक – 'IV'</u>

वित्तीय निविदा

(वित्तिय निविदा को अलग मुहरबंद लिफाफे में रखा जाना है)

केन्टीन संचालन के लिए दरें प्रस्तावित करने हेतु प्रोफार्मा

1. फर्म का नाम व पता :

2. प्रोपराईटर/पार्टनर्स/निदेशकों के नाम व पते मोबाईल नम्बर सहित :

प्रस्तावित दरे–

S.No.	Items	Serving Size	Price in Rs.
1	**Breakfast (Daily - Any one item)**		
	Stuffed Paratha with Curd	1 Nos.	
	Idli Sambhar Chatani	2 Nos.	
	Sambhar Bada	2 Nos.	
	Chole Bhature	2 Nos.	
	Veg. Sandwich	2 Nos.	
2	**Lunch (Thali Limited)**		
	Vegetarian (Daily) One Vegetable (dry or with gravy), Dal or Curry, four Chapatis, Rice (One Time fixed)	-	
	10 Puri with Aloo sabji	-	
3	**Evening Snacks (Daily- Any One Item)**		
	Aaloo Samosa	50 Gms	
	Pyaj Kachori	50 Gms	
	Dal Kachori	50 Gms	
	Veg. Sandwich	3 Bread Piece Sandwich	
	Cheese Sandwich	3 Bread Piece Sandwich	
	Mix Pakoda	100 Gms	
	Bread Pakoda	Standard size	
	Plain Noodles (Maggie)	Plate of 75 Gms.	
	Tea	100 ml	
	Dip Tea	100 ml	
	Lemon Tea	100 ml	
	Coffee	100 ml	
	Lassi Sweet	150 ml	
	Butter Milk	150 ml	

मै/हमने इस निविदा दस्तावेजों, नियमों एवं शर्तो का अध्ययन कर लिया है एवं पूर्णतया समझ गये हैं। मै निविदा में या पैकेजिंग पर उल्लेखित दरो पर खाना एवं सनेक्स आदि बेचने के लिए सहमत हूँ/हैं तथा खाद्य पदार्थ की गुणवता बनाये रखने के लिए सहमत हूँ/है।

हस्ताक्षर मय तिथि ....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम ....

फर्म का नाम ....

अनुलग्नक 'V'

TENDER ACCEPTANCE LETTER
(To be given on Company Letter Head)

To,
The Commissioner,
Central Goods & Services Tax,
Jodhpur

Sub: Acceptance of Terms & Conditions of Tender.

Tender Reference No: ______________________

Name of Tender / Work: -

____
____
____
____

Dear Sir,

1 . I/ We have downloaded / obtained the tender document(s) for the above mentioned 'Tender/Work' from the web site(s) namely:

____
____

as per your advertisement, given in the above mentioned website(s).

2. I / We hereby certify that I / we have read the entire terms and conditions of the tender documents from Page No. _______ to ______ (including all documents like annexure(s), schedule(s), etc .,), which form part of the contract agreement and I / we shall abide hereby by the terms / conditions / clauses contained therein.

3. The corrigendum(s) issued from time to time by your department/ organisation too has also been taken into consideration, while submitting this acceptance letter.

4. I / We hereby unconditionally accept the tender conditions of above mentioned tender document(s) / corrigendum(s) in its totality / entirety.

5. In case any provisions of this tender are found violated, then your department/ organisation shall without prejudice to any other right or remedy be at liberty to reject this tender/bid including the forfeiture of the full said earnest money deposit absolutely.

Yours Faithfully,

(Signature of the Bidder, with Official Seal)